बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ00सं0-जी0/बी0डी0-2-20-03/2019........23..........पटना, दिनांक..19/3/2020

'कार्यालय आदेश'

कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–2, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्र सं0– 103, दिनांक–03.02.2020 के आलोक में 800 सेट, शास्त्रीनगर में आवास सं0–643 से 660 को तोड़कर ऑफिसर्स फ्लैट के विनिर्माण कार्य योजना के कार्यान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए अधोलिखित आवासों के वैध आवासियों को रिक्ति के अनुसार निम्न प्रकार से आवास आवंटित किया जाता है:–

क्र.	नाम / पदनाम	विभाग का नाम	पूर्व आवंटित आवास	नव आवंटित आवास
1.	श्रीमती देवन्ती कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	646 / 800	73 / 800
2.	श्रीमती रामकली देवी, कार्यालय परिचारी	भवन निर्माण विभाग	649 / 800	66 / 800
3.	श्री बचेश्वर राय, कार्यालय परिचारी	पथ निर्माण विभाग	650 / 800	68 / 800
4.	श्री राम प्रवेश कुमार, सिपाही	माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा	652 / 800	63 / 800
5.	श्रीमती मनीषा कुमारी, सिपाही	माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा	653 / 800	61 / 800
6.	श्री दीनदयालु सागर, निम्नवर्गीय लिपिक	लोकायुक्त कार्यालय, पटना	655 / 800	50 / 800
7.	श्री मोहन कुमार, कार्यालय परिचारी	उद्योग विभाग	656 / 800	49 / 800
8.	श्री अजय कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	विधि विभाग	660 / 800	59 / 800

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. आवंटियों से अनुरोध है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार एक पक्ष के अन्दर ग्रहण करें। साथ ही आवास का प्रभार लेते समय वे कार्यपालक अभियंता को शपथ पत्र के रुप में सूचना देंगे कि– मुझे या मेरे परिवार के सदस्य के नाम से कार्यालय के आठ किलोमीटर की परिधि में अपना कोई मकान नहीं है।

4. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–1292(भ) दिनांक 01.03.1997 *के नियम–6 (ख)* के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारी / कर्मचारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

5. आवंटी आवास का प्रभार लेते समय परिचय–पत्र दिखलायेंगे तथा प्रशाखा में संधारित पंजी में अपना नाम, पदनाम, नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि एवं सेवा निवृत्ति की तिथि की प्रविष्टि करेंगे।

D: Seema/karyalay Adesh/ 90

6. आवंटनादेश में किसी तरह की त्रुटि का निराकरण प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

7. जर्जर आवासों के मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राथमिकता के आधार पर उसकी मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी तरह की दुर्घटना की पूरी जबावदेही संबंधित केयरटेकर, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता की होगी।

8. स्वास्थ्यगत कारणों के चलते आवास परिवर्तन को इच्छुक आवासियों को अपने अभ्यावेदन के साथ संबंधित आवश्यक मान्य चिकित्सा प्रमाण पत्रों को संलग्न करना होगा।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

17/3/20

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक–जी./बी.डी.–2–20–03/19 2469 (4) पटना, दिनांक– 19/3/2020

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, कर प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, (दानापुर), पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना/निदेशक(तकनीकी), एन0आई0सी0, पटना/समादेष्टा, विशेष सुरक्षा दल, मुख्यमंत्री सुरक्षा बिहार, पटना/संबंधित सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पेसू, पटना/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग/कनीय अभियंता ई–निवास, भवन निर्माण विभाग/संबंधित आवंटियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/20

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

D: Seema/karyalay Adesh/ 91